कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी (रा.ग्रा.रो.गा. योजना) एवं जिला कलक्टर, डूँगरपुर

क्रमांकः–जि.प.डूँ./ग्रा.वि.प्र./महात्मा गांधी नरेगा/निविदा/1406-15 दिनांकः– 19/7/10

अल्पकालीन निविदा सूचना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत 15 लाख ग्वारपाटा(रूटसकर) पौधो को क्रय करने एवं दर संविदा हेतु मान्यता प्राप्त पौध उत्पादको, ग्वारपाटा(रूटसकर) विकेताओं /नर्सरी संचालको / किसान नर्सरी चलाने वाली संस्थाए एवं वन सुरक्षा एवं प्रबन्धक समितियो से निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से दिनांक 09.08.2010 को 12.00 बजे तक कार्यालय समय मे रूपये 100/– जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, तथा ग्वारपाटा(रूटसकर) आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदादाता अपनी दरें इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा प्रपत्र मे दिनांक 09.08.2010 को दोपहर 2.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है ।

क्रय समिति द्वारा प्राप्त निविदाएँ दिनांक 09.08.2010 को दोपहर बाद 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/उनके मनोनीत सदस्यो के समक्ष समिति द्वारा खोली जायेगी ।

शर्ते :–

1. ग्वारपाटा(रूटसकर) की आपूर्ति एफ.ओ.आर. जिले की विभिन्न पंचायत समिति क्षैत्र मे कार्यस्थलो के समिपस्थ ग्राम पंचायत के सचिव/सरपंच/ग्राम रोजगार सहायक को उपलब्ध करावानी होगी ।
2. सम्बंधित कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी (रा.ग्रा.रो.गा योजना) के द्वारा लिखीत मे जारी आदेश के अनुरूप चाही गई मात्रा एवं वर्णित कार्यस्थल पर उपलब्ध करावानी होगी।
3. ग्वारपाटा(रूटसकर) की संख्या बढाने/घटाने का अधिकार जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, डूँगरपुर को होगा ।
4. धरोहर राशि 2 प्रतिशत राशि रू. 60000.00 जमा करानी होगी । यह राशि बैकर चैक/ड्राफ्ट के द्वारा जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गाँधी नरेगा) एवं जिला कलक्टर, डूँगरपुर के नाम से जमा करानी होगी ।
5. आदेश देने के बाद 5 प्रतिशत सिक्युरिटी की राशि जमा करानी होगी । जिसमें 2 प्रतिशत धरोहर राशि को भी समायोजित किया जायेगा । कार्यस्थल पर सप्लाई ग्वारपाटा(रूटसकर) में से जो ग्वारपाटा(रूटसकर) संतोषप्रद से कम जिवित दर होने पर ऐसे सभी मृत ग्वारपाटा(रूटसकर) के बदले , फर्म को नवीन ग्वारपाटा(रूटसकर) निःशुल्क उपलब्ध कराने होगे।
7. ग्वारपाटा(रूटसकर) के परिवहन के समय खराब हुए/नष्ट हुए ग्वारपाटा(रूटसकर) की पूर्ति निशुल्क की जायें।
8. सॅफल निविदादांता को जितने ग्वारपाटा(रूटसकर) की आपूर्ति हेतु आदेश दिया जायेगा उसकी राशि का 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 15 दिन के भितर किया जायेगा, शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान इन ग्वारपाटा(रूटसकर) के बडे होने बाद इनसे जो जैली निकलेगी उसके खरीदने हेतु एवं खरीदवाने के लिए किसी खरीददार को नियुक्त करने के बाद ही यह राशि दी जायेगी ।

जिला कार्यक्रम समन्वयक (महात्मा गांधी.)
एवं जिला कलक्टर, डूँगरपुर